

अधिसूचना

20 जून, 2014

सं० एफ-9(21) RG/NERC/2010/559- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h) के साथ पठित धारा 181(2)(ZC) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद् द्वारा NERC (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम 2010 (मुख्य विनियम) तथा उसमें इसके पश्चात् किये गये संशोधन में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन

- (1) इन विनियमों का नाम NERC (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2014 होगा।
- (2) ये विनियम 01 अप्रैल 2014 से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियमों के विनियम 12 में संशोधन:-

उप-विनियम (1) के प्रथम पंक्ति में आये '31.03.2013' के स्थान पर '31.03.2018' प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. मुख्य विनियमों के विनियम 15 (9) में संशोधन :

मुख्य विनियमों के विनियम 15 (9) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :

"परन्तु पूंजीगत कोई भी अतिरिक्त व्यय जो प्राकृतिक आपदा (किन्तु उत्पादक कम्पनी की लापरवाही के फलस्वरूप पावर हाउस पानी भर जाने के कारण नहीं) द्वारा क्षतिग्रस्त होने के कारण आवश्यक हो जाये आयोग द्वारा कुशल जांच के पश्चात् इन विनियमों अधीन आये सभी उत्पादक स्टेशनों के लिए किसी बीमा योजना से प्राप्त राशि के समायोजन के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में अनुमन्य होगा उपरोक्त रूप से स्वीकार्य अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिये शुल्क में उपयुक्त समायोजन, विनियमों के अध्याय 4 व 5 में दिये गये मानकों के आधार पर उस परियोजना के शेष जीवनकाल हेतु अनुमन्य होगा।

परन्तु इस प्रकार से अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति उसी दशा में होगी यदि ऊपर प्रथम परन्तुक में उल्लिखित प्राकृतिक आपदा को घटित होने के समय पर उत्पादक स्टेशन हेतु उपयुक्त और पर्याप्त बीमा कवर उपलब्ध था।”

4. मुख्य विनियमों के विनियम 27 में संशोधन

मुख्य विनियमों के विनियम 27 में संशोधन हटा दिया गया है तथा इसके स्थान पर निम्नलिखित को स्थापित किया जाएगा:

“ 27 शुल्क की अनुप्रयोज्यता

शुल्क की वसूली निम्नलिखित तरीके से अनुमन्य होगी:

- i. जब तक वास्तविक CUF 40% वार्षिक CUF से कम या उसके बराबर है, शुल्क 40% के मानकीय CUF के आधार पर ज्ञात इन संशोधित विनियमों के विनिर्दिष्ट स्तरीकृत जेनरिक दरों पर देय होंगे।
- ii. 40% के वार्षिक CUF से अधिक उत्पादन हेतु निम्नलिखित लागू होगा:
 - (a) 40% के वार्षिक CUF से अधिक किन्तु 45% के वार्षिक CUF तक शुल्क रू0 1.50/kWh होगा।
 - (b) 45% के वार्षिक CUF अधिक उत्पादन पर प्रोत्साहन रू0 0.75 प्रति kWh घटा कर 45% के CUF पर मुख्य विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत जेनरिक दरों के बराबर होगा। यह रू0 0.75/kWh की घटौती वास्तविक वार्षिक CUF के 55% पहुंच जाने तक केवल पश्चात्वर्ती मासिक बिलों से की जायेगी।
 - (c) परन्तु आगे यह 55% के वार्षिक CUF से आगे उत्पादन हेतु प्रोत्साहन 45% के CUF पर मुख्य विनियमों में विनिर्दिष्ट स्तरीकृत दरों के बराबर होगा।
 - (d) वार्षिक CUF का प्रगणन मुख्य विनियमों के विनियम 3(1) (ई) में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा”

5. मुख्य विनियमों के विनियम 29 में संशोधन :

मुख्य विनियमों का विनियम 29 इस तरह पढ़ा जायेगा :

“ 29 लघु जल विद्युत उत्पादक संयंत्र

लघु जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिये जेनरिक शुल्कों के अवधारण हेतु प्रौद्योगिकी विशिष्ट मानदंड निम्नलिखित रूप में होंगे :

01.01.2002 के पश्चात् और 31.03.2007 तक कमीशन्ड परियोजनाएं

परियोजना आकार	पूंजी लागत	कमीशनिंग वर्ष हेतु O&M व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक	अनुशंगी खपत
	(रु0 लाख/MW)	(रु0 लाख/MW)	%	%
5MW तक	550	15.90	40%	1%
5MW से तक 10MW	550	14.77		
10MW से तक 15MW		13.63		
15MW से तक 20MW		12.49		
20MW से तक 25MW		11.36		

वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2008-09 की अवधि में कमीशन्ड परियोजनाएं :

परियोजना आकार	पूंजी लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु O&M व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक	अनुशंगी खपत
	(रु0 लाख/MW)	(रु0 लाख/MW)	%	%
5MW तक	600	18.79	40%	1%
5MW से तक 10MW	600	17.45		
10MW से तक 15MW		16.10		
15MW से तक 20MW		14.76		
20MW से तक 25MW		13.42		

01.04.2009 को या उसके पश्चात् कमीशन्ड परियोजनाएं

परियोजना आकार	पूंजी लागत	कमीशनिंग के वर्ष हेतु O&M व्यय	क्षमता उपयोगिता कारक	अनुशंगी खपत
	(रु0 लाख/MW)	(रु0 लाख/MW)	%	%
5MW तक	700	21	40%	1%
5 MW से 10MW तक	685	20		
10 MW से 15MW तक	670	18		
15 MW से 20MW तक	650	17		
20 MW से 25MW तक	630	15		

01.04.2014 से 40% के के वार्षिक CUF तक लागू SHPs हेतु स्तरीकृत दर के स्थिर प्रभार (RFC) रु०/ kWh में)

(a) 01.01.2002 के पश्चात् और 31.03.2007 तक कमीशनड SHPs

विवरण	5 MW तक			5 से 10MW तक			10 से 15MW तक			15 से 20MW तक			20 से 25MW तक			
	सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य द्वारा	शुद्ध शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य द्वारा	शुद्ध शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य द्वारा	शुद्ध शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य द्वारा	शुद्ध शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर: त्वरित मूल्य द्वारा	शुद्ध शुल्क	
1. स्तरीकृत (संपूर्ण जीवन)	3.20	0.25	2.95	3.20	0.25	2.95	3.15	0.25	2.90	3.10	0.25	2.85	3.05	0.25	2.80	
2. स्तरीकृत	1 से 10 वर्ष	3.35	0.30	3.05	3.35	0.30	3.05	3.35	0.30	3.05	3.30	0.30	3.00	3.25	0.30	2.95
	शेष जीवन	2.80	-	2.80	2.70	-	2.70	2.60	-	2.60	2.50	-	2.50	2.40	-	2.40
3 वार्षिक शुल्क	Year															
	1	3.75	1.05	2.70	3.75	1.05	2.70	3.75	1.05	2.70	3.75	1.05	2.70	3.70	1.05	2.65
	2	3.60	1.15	2.45	3.65	1.15	2.50	3.65	1.15	2.50	3.60	1.15	2.45	3.55	1.15	2.40
	3	3.50	0.05	3.45	3.50	0.05	3.45	3.50	0.05	3.45	3.45	0.05	3.40	3.45	0.05	3.40
	4	3.40	-0.10	3.50	3.40	-0.10	3.50	3.40	-0.10	3.50	3.35	-0.10	3.45	3.30	-0.10	3.40
	5	3.25	-0.15	3.40	3.30	-0.15	3.45	3.25	-0.15	3.40	3.20	-0.15	3.35	3.20	-0.15	3.35
	6	3.15	-0.10	3.25	3.15	-0.10	3.25	3.15	-0.10	3.25	3.10	-0.10	3.20	3.05	-0.10	3.15
	7	3.05	-0.10	3.15	3.05	-0.10	3.15	3.00	-0.10	3.10	3.00	-0.10	3.10	2.95	-0.10	3.05
	8	2.95	-0.10	3.05	2.95	-0.10	3.05	2.90	-0.10	3.00	2.85	-0.10	2.95	2.80	-0.10	2.90
	9	2.85	-0.10	2.95	2.80	-0.10	2.90	2.80	-0.10	2.90	2.75	-0.10	2.85	2.70	-0.10	2.80
	10	2.85	-0.05	2.90	2.80	-0.05	2.85	2.75	-0.05	2.80	2.70	-0.05	2.75	2.65	-0.05	2.70
	11	2.15	0.00	2.15	2.10	0.00	2.10	2.00	0.00	2.00	1.95	0.00	1.95	1.90	0.00	1.90
	12	2.20	0.00	2.20	2.10	0.00	2.10	2.05	0.00	2.05	2.00	0.00	2.00	1.95	0.00	1.95
	13	2.25	0.00	2.25	2.15	0.00	2.15	2.10	0.00	2.10	2.05	0.00	2.05	1.95	0.00	1.95
	14	2.30	0.00	2.30	2.20	0.00	2.20	2.15	0.00	2.15	2.10	0.00	2.10	2.00	0.00	2.00
	15	2.35	0.00	2.35	2.25	0.00	2.25	2.20	0.00	2.20	2.10	0.00	2.10	2.05	0.00	2.05
	16	2.95	0.00	2.95	2.85	0.00	2.85	2.75	0.00	2.75	2.65	0.00	2.65	2.55	0.00	2.55
	17	3.00	0.00	3.00	2.90	0.00	2.90	2.80	0.00	2.80	2.70	0.00	2.70	2.60	0.00	2.60
	18	3.10	0.00	3.10	3.00	0.00	3.00	2.90	0.00	2.90	2.75	0.00	2.75	2.65	0.00	2.65
	19	3.20	0.00	3.20	3.05	0.00	3.05	2.95	0.00	2.95	2.85	0.00	2.85	2.70	0.00	2.70
	20	3.25	0.00	3.25	3.15	0.00	3.15	3.05	0.00	3.05	2.90	0.00	2.90	2.80	0.00	2.80
	21	3.35	0.00	3.35	3.25	0.00	3.25	3.10	0.00	3.10	3.00	0.00	3.00	2.85	0.00	2.85
	22	3.45	0.00	3.45	3.35	0.00	3.35	3.20	0.00	3.20	3.05	0.00	3.05	2.95	0.00	2.95
	23	3.60	0.00	3.60	3.45	0.00	3.45	3.30	0.00	3.30	3.15	0.00	3.15	3.00	0.00	3.00
	24	3.70	0.00	3.70	3.55	0.00	3.55	3.40	0.00	3.40	3.25	0.00	3.25	3.10	0.00	3.10
	25	3.80	0.00	3.80	3.65	0.00	3.65	3.50	0.00	3.50	3.35	0.00	3.35	3.20	0.00	3.20
	26	3.95	0.00	3.95	3.75	0.00	3.75	3.60	0.00	3.60	3.45	0.00	3.45	3.25	0.00	3.25
	27	4.10	0.00	4.10	3.90	0.00	3.90	3.70	0.00	3.70	3.55	0.00	3.55	3.35	0.00	3.35
	28	4.20	0.00	4.20	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85	3.65	0.00	3.65	3.45	0.00	3.45
	29	4.35	0.00	4.35	4.15	0.00	4.15	3.95	0.00	3.95	3.75	0.00	3.75	3.55	0.00	3.55
	30	4.55	0.00	4.55	4.30	0.00	4.30	4.10	0.00	4.10	3.90	0.00	3.90	3.70	0.00	3.70
	31	4.70	0.00	4.70	4.50	0.00	4.50	4.25	0.00	4.25	4.05	0.00	4.05	3.80	0.00	3.80
	32	4.90	0.00	4.90	4.65	0.00	4.65	4.40	0.00	4.40	4.15	0.00	4.15	3.95	0.00	3.95
	33	5.05	0.00	5.05	4.80	0.00	4.80	4.55	0.00	4.55	4.30	0.00	4.30	4.05	0.00	4.05
	34	5.25	0.00	5.25	5.00	0.00	5.00	4.75	0.00	4.75	4.50	0.00	4.50	4.20	0.00	4.20
35	5.50	0.00	5.50	5.20	0.00	5.20	4.90	0.00	4.90	4.65	0.00	4.65	4.35	0.00	4.35	

वर्ष 1 जनरल शुल्को के लिए कमीशनिंग का वर्ष होगा।

वित्त वर्ष 2007-08से 2008-09 की अवधि में कमीशन्ड SHP's

विवरण	5 MW तक			5 से 10MW तक			10 से 15MW तक			15 से 20MW तक			20 से 25MW तक			
	सकल शुल्क	घटाकर त्वरित मूल्य छास	भाई शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर त्वरित मूल्य छास	सकल शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर त्वरित मूल्य छास	भाई शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर त्वरित मूल्य छास	सकल शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर त्वरित मूल्य छास	भाई शुल्क	
1. स्तरीकृत (संपूर्ण जीवन)	3.60	0.25	3.35	3.55	0.25	3.30	3.50	0.25	3.25	3.45	0.25	3.20	3.40	0.25	3.15	
2. स्तरीकृत	1से10 वर्ष	3.75	0.35	3.40	3.75	0.35	3.40	3.70	0.35	3.35	3.65	0.35	3.30	3.60	0.35	3.25
	शेष जीवन	3.20	-	3.20	3.05	-	3.05	2.95	-	2.95	2.85	-	2.85	2.70	-	2.70
3 वार्षिक शुल्क	Year															
	1	4.15	1.15	3.00	4.15	1.15	3.00	4.15	1.15	3.00	4.10	1.15	2.95	4.10	1.15	2.95
	2	4.00	1.25	2.75	4.05	1.25	2.80	4.00	1.25	2.75	3.95	1.25	2.70	3.95	1.25	2.70
	3	3.90	0.05	3.85	3.90	0.05	3.85	3.85	0.05	3.80	3.85	0.05	3.80	3.80	0.05	3.75
	4	3.75	-0.10	3.85	3.75	-0.10	3.85	3.75	-0.10	3.85	3.70	-0.10	3.80	3.65	-0.10	3.75
	5	3.65	-0.15	3.80	3.65	-0.15	3.80	3.60	-0.15	3.75	3.55	-0.15	3.70	3.50	-0.15	3.65
	6	3.50	-0.15	3.65	3.50	-0.15	3.65	3.50	-0.15	3.65	3.45	-0.15	3.60	3.40	-0.15	3.55
	7	3.40	-0.10	3.50	3.40	-0.10	3.50	3.35	-0.10	3.45	3.30	-0.10	3.40	3.25	-0.10	3.35
	8	3.30	-0.10	3.40	3.25	-0.10	3.35	3.25	-0.10	3.35	3.20	-0.10	3.30	3.10	-0.10	3.20
	9	3.20	-0.10	3.30	3.15	-0.10	3.25	3.10	-0.10	3.20	3.05	-0.10	3.15	3.00	-0.10	3.10
	10	3.20	-0.05	3.25	3.10	-0.05	3.15	3.05	-0.05	3.10	3.00	-0.05	3.05	2.95	-0.05	3.00
	11	2.40	0.00	2.40	2.35	0.00	2.35	2.25	0.00	2.25	2.20	0.00	2.20	2.10	0.00	2.10
	12	2.45	0.00	2.45	2.40	0.00	2.40	2.30	0.00	2.30	2.25	0.00	2.25	2.15	0.00	2.15
	13	2.50	0.00	2.50	2.45	0.00	2.45	2.35	0.00	2.35	2.30	0.00	2.30	2.20	0.00	2.20
	14	2.60	0.00	2.60	2.50	0.00	2.50	2.40	0.00	2.40	2.35	0.00	2.35	2.25	0.00	2.25
	15	2.65	0.00	2.65	2.55	0.00	2.55	2.50	0.00	2.50	2.40	0.00	2.40	2.30	0.00	2.30
	16	3.30	0.00	3.30	3.20	0.00	3.20	3.10	0.00	3.10	3.00	0.00	3.00	2.85	0.00	2.85
	17	3.40	0.00	3.40	3.30	0.00	3.30	3.15	0.00	3.15	3.05	0.00	3.05	2.95	0.00	2.95
	18	3.50	0.00	3.50	3.40	0.00	3.40	3.25	0.00	3.25	3.15	0.00	3.15	3.00	0.00	3.00
	19	3.60	0.00	3.60	3.50	0.00	3.50	3.35	0.00	3.35	3.20	0.00	3.20	3.10	0.00	3.10
	20	3.70	0.00	3.70	3.60	0.00	3.60	3.45	0.00	3.45	3.30	0.00	3.30	3.15	0.00	3.15
	21	3.85	0.00	3.85	3.70	0.00	3.70	3.55	0.00	3.55	3.40	0.00	3.40	3.25	0.00	3.25
	22	3.95	0.00	3.95	3.80	0.00	3.80	3.65	0.00	3.65	3.50	0.00	3.50	3.30	0.00	3.30
	23	4.10	0.00	4.10	3.90	0.00	3.90	3.75	0.00	3.75	3.60	0.00	3.60	3.40	0.00	3.40
	24	4.20	0.00	4.20	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85	3.70	0.00	3.70	3.50	0.00	3.50
	25	4.35	0.00	4.35	4.20	0.00	4.20	4.00	0.00	4.00	3.80	0.00	3.80	3.60	0.00	3.60
	26	4.50	0.00	4.50	4.30	0.00	4.30	4.10	0.00	4.10	3.90	0.00	3.90	3.70	0.00	3.70
	27	4.70	0.00	4.70	4.45	0.00	4.45	4.25	0.00	4.25	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85
	28	4.85	0.00	4.85	4.60	0.00	4.60	4.40	0.00	4.40	4.20	0.00	4.20	3.95	0.00	3.95
	29	5.00	0.00	5.00	4.80	0.00	4.80	4.55	0.00	4.55	4.30	0.00	4.30	4.10	0.00	4.10
	30	5.20	0.00	5.20	4.95	0.00	4.95	4.70	0.00	4.70	4.45	0.00	4.45	4.20	0.00	4.20
	31	5.40	0.00	5.40	5.15	0.00	5.15	4.90	0.00	4.90	4.60	0.00	4.60	4.35	0.00	4.35
	32	5.60	0.00	5.60	5.35	0.00	5.35	5.05	0.00	5.05	4.80	0.00	4.80	4.50	0.00	4.50
	33	5.85	0.00	5.85	5.55	0.00	5.55	5.25	0.00	5.25	4.95	0.00	4.95	4.65	0.00	4.65
	34	6.10	0.00	6.10	5.75	0.00	5.75	5.45	0.00	5.45	5.15	0.00	5.15	4.85	0.00	4.85
35	6.35	0.00	6.35	6.00	0.00	6.00	5.65	0.00	5.65	5.35	0.00	5.35	5.00	0.00	5.00	

वर्ष 1 जनरिक शुल्को के लिए कमीशिंग का वर्ष होगा।

(b) सी. 01.04.2009 को या उसके पश्चात् कमीशन्ड SHPs

विवरण	5 MW तक			5 से 10MW तक			10 से 15MW तक			15 से 20MW तक			20 से 25MW तक			
	सकल शुल्क	घटाकर त्वरित मूल्य द्वारा	भाइ शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर त्वरित मूल्य द्वारा	भाइ शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर त्वरित मूल्य द्वारा	भाइ शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर त्वरित मूल्य द्वारा	भाइ शुल्क	सकल शुल्क	घटाकर त्वरित मूल्य द्वारा	भाइ शुल्क	
1. स्तरीकृत (संपूर्ण जीवन)	4.20	0.30	3.90	4.10	0.30	3.80	3.95	0.30	3.65	3.80	0.25	3.55	3.65	0.25	3.40	
2. स्तरीकृत	1से10 वर्ष	4.40	0.40	4.00	4.30	0.40	3.90	4.15	0.35	3.80	4.00	0.35	3.65	3.85	0.35	3.50
	शेष जीवन	3.65	-	3.65	3.45	-	3.45	3.30	-	3.30	3.10	-	3.10	2.95	-	2.95
3 वार्षिक शुल्क	Year															
	1	4.90	1.35	3.55	4.80	1.35	3.45	4.65	1.30	3.35	4.50	1.25	3.25	4.35	1.20	3.15
	2	4.75	1.50	3.25	4.65	1.45	3.20	4.50	1.40	3.10	4.35	1.40	2.95	4.20	1.35	2.85
	3	4.60	0.10	4.50	4.50	0.10	4.40	4.35	0.10	4.25	4.20	0.10	4.10	4.05	0.05	4.00
	4	4.45	-0.15	4.60	4.35	-0.15	4.50	4.20	-0.15	4.35	4.05	-0.15	4.20	3.90	-0.15	4.05
	5	4.30	-0.15	4.45	4.20	-0.15	4.35	4.05	-0.15	4.20	3.90	-0.15	4.05	3.75	-0.15	3.90
	6	4.15	-0.15	4.30	4.05	-0.15	4.20	3.95	-0.15	4.10	3.80	-0.15	3.95	3.60	-0.15	3.75
	7	4.00	-0.15	4.15	3.90	-0.15	4.05	3.80	-0.10	3.90	3.65	-0.10	3.75	3.50	-0.10	3.60
	8	3.85	-0.10	3.95	3.75	-0.10	3.85	3.65	-0.10	3.75	3.50	-0.10	3.60	3.35	-0.10	3.45
	9	3.70	-0.10	3.80	3.65	-0.10	3.75	3.50	-0.10	3.60	3.35	-0.10	3.45	3.20	-0.10	3.30
	10	3.65	-0.10	3.75	3.55	-0.10	3.65	3.45	-0.10	3.55	3.30	-0.10	3.40	3.15	-0.10	3.25
	11	2.75	0.00	2.75	2.65	0.00	2.65	2.55	0.00	2.55	2.40	0.00	2.40	2.30	0.00	2.30
	12	2.80	0.00	2.80	2.70	0.00	2.70	2.60	0.00	2.60	2.45	0.00	2.45	2.30	0.00	2.30
	13	2.90	0.00	2.90	2.75	0.00	2.75	2.65	0.00	2.65	2.50	0.00	2.50	2.35	0.00	2.35
	14	2.95	0.00	2.95	2.85	0.00	2.85	2.70	0.00	2.70	2.55	0.00	2.55	2.40	0.00	2.40
	15	3.05	0.00	3.05	2.90	0.00	2.90	2.75	0.00	2.75	2.60	0.00	2.60	2.50	0.00	2.50
	16	3.80	0.00	3.80	3.65	0.00	3.65	3.45	0.00	3.45	3.25	0.00	3.25	3.10	0.00	3.10
	17	3.90	0.00	3.90	3.70	0.00	3.70	3.55	0.00	3.55	3.35	0.00	3.35	3.15	0.00	3.15
	18	4.00	0.00	4.00	3.85	0.00	3.85	3.65	0.00	3.65	3.45	0.00	3.45	3.25	0.00	3.25
	19	4.15	0.00	4.15	3.95	0.00	3.95	3.75	0.00	3.75	3.55	0.00	3.55	3.30	0.00	3.30
	20	4.25	0.00	4.25	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85	3.60	0.00	3.60	3.40	0.00	3.40
	21	4.35	0.00	4.35	4.15	0.00	4.15	3.95	0.00	3.95	3.70	0.00	3.70	3.50	0.00	3.50
	22	4.50	0.00	4.50	4.30	0.00	4.30	4.05	0.00	4.05	3.85	0.00	3.85	3.60	0.00	3.60
	23	4.65	0.00	4.65	4.40	0.00	4.40	4.20	0.00	4.20	3.95	0.00	3.95	3.70	0.00	3.70
	24	4.80	0.00	4.80	4.55	0.00	4.55	4.30	0.00	4.30	4.05	0.00	4.05	3.80	0.00	3.80
	25	4.95	0.00	4.95	4.70	0.00	4.70	4.45	0.00	4.45	4.20	0.00	4.20	3.90	0.00	3.90
	26	5.15	0.00	5.15	4.85	0.00	4.85	4.60	0.00	4.60	4.30	0.00	4.30	4.05	0.00	4.05
	27	5.30	0.00	5.30	5.05	0.00	5.05	4.75	0.00	4.75	4.45	0.00	4.45	4.15	0.00	4.15
	28	5.50	0.00	5.50	5.20	0.00	5.20	4.90	0.00	4.90	4.60	0.00	4.60	4.30	0.00	4.30
	29	5.70	0.00	5.70	5.40	0.00	5.40	5.10	0.00	5.10	4.75	0.00	4.75	4.45	0.00	4.45
	30	5.90	0.00	5.90	5.60	0.00	5.60	5.25	0.00	5.25	4.95	0.00	4.95	4.60	0.00	4.60
	31	6.15	0.00	6.15	5.80	0.00	5.80	5.45	0.00	5.45	5.10	0.00	5.10	4.75	0.00	4.75
	32	6.35	0.00	6.35	6.00	0.00	6.00	5.65	0.00	5.65	5.30	0.00	5.30	4.90	0.00	4.90
	33	6.60	0.00	6.60	6.25	0.00	6.25	5.85	0.00	5.85	5.50	0.00	5.50	5.10	0.00	5.10
	34	6.90	0.00	6.90	6.50	0.00	6.50	6.10	0.00	6.10	5.70	0.00	5.70	5.30	0.00	5.30
35	7.15	0.00	7.15	6.75	0.00	6.75	6.35	0.00	6.35	5.90	0.00	5.90	5.50	0.00	5.50	

वर्ष 1 जेनरिक शुल्को के लिए कमीशनिंग का वर्ष होगा।

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,
सचिव।